कार्यवृत्त

मंगलवार, 04 आषाढ़, शक संवत्, 1941
(दिनांक : 25 जून, 2019)

खण्ड–54
अंक–2

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही मा0 नेता प्रतिपक्ष तथा मा0 सदस्य, प्रीतम सिंह सहित विपक्ष के मा0 सदस्य प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल होने दें। लेकिन नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी सदस्य कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग पर अड़े रहे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं। इसलिए प्रश्नकाल होने दें। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रश्नकाल के बाद कार्य–संचालन नियमावली के अनुसार इस पर चर्चा करा ली जायेगी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी मा0 सदस्य अपने–अपने स्थानों पर खड़े होकर नियम–310 में चर्चा कराये जाने की पुनः मांग करने लगे।

श्री अध्यक्ष द्वारा पुनः अनुरोध किये जाने पर भी मा0 नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी सदस्य नियम–310 के तहत चर्चा कराये जाने की मांग पर अड़े रहे। श्री अध्यक्ष ने कहा वे नियम–310 की इस सूचना को नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे। तत्पश्चात् मा0 नेता प्रतिपक्ष व विपक्ष के सभी सदस्यों ने अपना–अपना स्थान ग्रहण किया।

प्रश्न पूछे गये एवं उत्तर दिये गये।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि उत्तराखण्ड की इस सम्मानित सदन में कार्यसूची में प्रविष्ट सभी प्रश्नों के उत्तर दिये जाने की एक गरिमा भी संसदीय परम्परा स्थापित हो रही है। आज भी कार्यसूची में प्रविष्ट सभी प्रश्नों के उत्तर दिये गए। इसके लिए वे सदन के सभी मा0 सदस्यों, मा0 मंत्रीगणों एवं मा0 नेता प्रतिपक्ष का आभार प्रकट करते हैं।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम 300 के अन्तर्गत 17 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, वे इनमें से 07 सूचनायें स्वीकार कर रहे हैं। निम्नलिखित सूचनाएं मा0 सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयी।

1. श्री राजकुमार ठुकराल	प्रदेश के रूद्रपुर में सड़क सम्पर्क मार्गों की जीर्ण–शीर्ण अवस्था व सीवर लाइन न होने से थोड़ी सी बरसात में जल भराव के सन्दर्भ में। **पढ़ी हुई मानी गई।)**
2. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	प्रदेश के रामनगर से सल्ट विधान सभा को जाने वाले मार्ग पर धनगढ़ी व पनोद नाले पर पुल का निर्माण न होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
3. श्री विशन सिंह चुफाल	जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धशाड़ के भवन की छत की मरम्मत एवं नये कक्षों के निर्माण के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

2– श्री पूरन सिंह फर्त्याल	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोहाघाट में डाक्टरों व संसाधनों की कमी से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
4. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर में वन विभाग के क्षेत्र से बरसाती पानी क्षेत्र में आने से समाज में आक्रोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
5. श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी	चम्पावत विधान सभा के टनकपुर में पूर्णागिरी मंदिर में पेयजल आपूर्ति न होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। **(श्री अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य उपस्थित नही थे।)**
6. श्री हरबन्स कपूर	देहरादून में अधूरे सीवर एवं पेयजल योजना कार्यों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

सचिव, विधान सभा ने घोषित किया कि :–

(1) उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 मार्च, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2019 का प्रथम अधिनियम बन गया।

(2) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन), विधेयक, 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 मार्च, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2019 का द्वितीय अधिनियम बन गया।

(3) उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 मार्च, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2019 का तृतीय अधिनियम बन गया।

(4) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 मार्च, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2019 का चतुर्थ अधिनियम बन गया।

(5) भारतीय भागीदारी (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 मार्च, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2019 का पांचवा अधिनियम बन गया।

(6) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 मार्च, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2019 का छठा अधिनियम बन गया।।

(7) उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 मार्च, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2019 का सातवां अधिनियम बन गया।

(8) हिमालयीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 02 अप्रैल, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2019 का आठवां अधिनियम बन गया।

(9) उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910) (संशोधन) विधेयक, 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 अप्रैल, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2019 का नवां अधिनियम बन गया।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम मानकपुर आदमपुर में शिव मन्दिर के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में'' श्री राजकुमार सैनी पुत्र श्री गोविन्द, ग्राम–मानकपुर, पो0–खास, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम भलस्वागाज में पानी की समस्या के चलते गांव में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री अजीत सिंह, पुत्र श्री फूलसिंह, ग्राम व पो0 भलस्वागाज, जनपद हरिद्वार एव अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपदहरिद्वार के ग्राम बिन्दुखरक में मेन रोड से ग्राम डांकावाली उत्तर प्रदेश सीमा तक लगभग 700x 3मी0 सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री संजय, पुत्र श्री विजयपाल, ग्राम–बिन्दुखरक, पो0–भलस्वागाज, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''श्री देवसुमन राज्य विश्वविद्यालय का कैम्पस कालेज बादशाहीथौल चम्बा में शीघ्र खोले जाने के सम्बन्ध में'' श्री कमान सिंह नेगी, ग्राम व पो0 बादशाहीथौल जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''कोटी कालोनी के पंचकोटी से नई टिहरी के लिए रोपवे लगाये जाने के बाबत् सर्वेक्षण के बाद आगे की कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में'' श्री अमित मिश्रा, ग्राम व पो0 कोटी कालोनी, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

12:00 बजकर 25 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''पहाड़ी क्षेत्र में जंगली जानवरों, सुअर व बन्दरों के कारण ग्रामीणों की खेती को हो रहे नुकसान के बाबत् स्थायी समाधान न किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री जगदम्बा वेलवाल, ग्राम व पो0 जड़ीपानी, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री शक्तिलाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र घनसाली, टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत तहसील घनसाली एवं बालगंगा के दैवीय आपदा एवं भू:स्खलन से प्रभावित गांवों को पुनर्वासित किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री धनपाल सिंह राणा, ग्राम–धारगांव पो0–धोपड़धार भिलंग, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री शक्तिलाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र घनसाली, टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत वर्ष 2013 में आई भीषण आपदा से पट्टी नैलचामी की गाड, चांजी गाड तथा भिलंग घुत्तू गाड में हुई तबाही के सम्बन्ध में'' श्री विजय राम भट्ट, ग्राम–कठूड़ पट्टी हिन्दाव, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री शक्तिलाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र घनसाली, टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चौठारा गोनगढ़ एवं कोटथाती कठूड़ के विस्थापन एवं पट्टी गोनगढ़ के बनथूनी–धापड़ सिंचाई नहर के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री भरत सिंह नेगी, ग्राम–भल्डगांव, भिलंग,जनपद टिहरी गढ़वाल एव ंअन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के मलुवाताल ग्राम सभा को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अति संवेदनशील जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री प्रताप सिंह गंगोला पुत्र श्री मोती सिंह, ग्राम सभा–मलुवाताल, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के धारी ब्लाक के कसियालेख मुक्तेश्वर मोटरमार्ग के पसियापानी से सुनकिया, दाड़िम, ओड़ाखान मोटर मार्ग में डामरीकरण के सम्बन्ध में'' श्री पवन सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह, ग्राम–सुनकिया पो0–भटेलिया, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लाक के चमोली ग्राम सभा के जगडिग्गीमल्ली से चमोली की ओर जीर्ण–शीर्ण पेयजल लाईन के सम्बन्ध में'' श्री राम सिंह मछकोलिया पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह, ग्राम–चमोली, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित किया।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य–मंत्रणा समिति ने दिनांक 24 जून, 2019 की बैठक में दिनांक 25 जून, 2019 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः–

जून, 2019

25 (मंगलवार) विधायी कार्यः–

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर विचार एवं पारण । **(15 मिनट)**

<u>असरकारी कार्यः–</u>

1. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश की राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैक लॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियॉ की जाय''।

2. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है जिसे पुनर्गठन कर मदन नेगी अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय''।

3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश से कराई जाय''।

4. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुऑ, जिला नैनीताल, एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे है, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय''।

5. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय''।

6. श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :–

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गाय को भारतीय कृषि, आर्थिकी तथा आध्यात्म का आधार होने के कारण राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी जाय एवं इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण एवं विकास हेतु ''राष्ट्रीय गाय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाय।''

7. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में से प्रतिवर्ष रू0 01 करोड़ मन्दिरों तथा पंचायत स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पुर्ननिर्माण के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया जाय।''

8. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर नीति बनायी जाय।''

9. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी एवं चकराता के मूल निवासी अछूत कोल्टा जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय''।

10. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में जहॉ लोग विभिन्न कारणों से कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं, के सम्पूर्ण भाग पर सरकारी अथवा सहकारिता के माध्यम से कृषि, बागवानी, सगन्ध पुष्प अथवा अन्य कोई रोजगारपरक खेती करायी जाय''।

11. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मतस्य विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 2016 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 पदों पर बिना आरक्षण के माध्यम से आउट सोर्सिंग/उपनल से तथा 14 पदों पर संविदा के द्वारा बिना विज्ञप्ति एवं आरक्षण लागू न करते हुए भर्ती की गई। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जांच की जाय''।

12. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि की जाय''।

13. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में ई–नेटवर्किंग में मोबाईल कार्य हेतु कार्यरत सभी कम्पनियां अपने–अपने उपभोक्ताओं की किसी भी तरह की जानकारियां किसी अन्य कम्पनियों को उपलब्ध न कराये''।

14. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में राज्य गठन से पूर्व राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के लिए पात्रता निर्धारण किये जाने की शर्तों में शासनादेश संख्या–1118/XVII–1/2013–01(20)2013 में दिये गये शासनादेश संख्या 2588/एक–4/सा0प्रा0/2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 में दी गई व्यवस्था पर पुनर्विचार करते हुए यह माना जाय कि शासनादेश के बिन्दु संख्या–02 में उल्लेख है कि इस श्रेणी में वही व्यक्ति आयेंगे जिनका स्थाई आवास उत्तरांचल में हो, तथा उत्तरांचल के सद्भाविक (Bonafide Residents) निवासी हों, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय''।

<u>नियम– 105 के प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरणः–</u>

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना,	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र विशेष में प्रचूर मात्रा में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित आधारभूत सुविधाओं, सेवाओं आदि का विकास करते हुए, सार्थक प्रयास किये जायें।''
2. श्रीमती ममता राकेश,	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि डाटकाली मन्दिर को जाने वाली सुरंग के पुनर्निर्माण एवं वन वे मोटर मार्ग किया जाय।''

<u>नियम–105 के प्रस्तावः–</u>

1. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा से अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाये।''

2. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी–छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।''

3. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि बी0डी0 इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।''

4 श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि राज्य में वाहन दुर्घटनाओं तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत मारे गये व्यक्तियों को एक समान प्रतिकर/अहेतुक सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान किया जाय।''

5. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में काफी जन हानि एवं आपदा जैसे हालात पैदा हो गये हैं, जिस हेतु प्रदेश सरकार राज्य को दैवीय आपदा घोषित करते हुए केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजे कि वे केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने हेतु राज्य को विशेष अनुदान राशि मुहैया करायी जाय ।''

6. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर ''डा0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा कर दिया जाय।''

7. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों में 1992 से अब तक एस0सी0/एस0टी0/ओ0 बी0सी0 के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाय।''

8. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि ट्रामा सेन्टर कण्डीसौड़ (छाम) विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढ़वाल को शीघ्र संचालित कराया जाय।''

9. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि सन् 1822 की क्रान्ति को पहली स्वतंत्रता क्रान्ति मानते हुए यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से भारत सरकार को भेजा जाय।''

10. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कराया जाय।''

<u>नियम–54 की सूचनाऐंः–</u>

1. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारीः–

''प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाय।''

2. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारीः–

''प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाय।''

3. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारीः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के कार्मिक विभाग के अन्तर्गत ''इरशाद हुसैन'' आयोग का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर अभी तक नहीं रखी गई है। सदन के पटल पर यह रिपोर्ट अविलम्ब रखी जाय।''

4. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारीः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश की प्राइवेट शुगर मिलों से किसानों की कई सौ करोड़ों रूपये गन्ने की बकाया रकम दिलाने हेतु इस सदन में चर्चा कराई जाय।''

श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को सदन में की गयी घोषणा के अनुक्रम में दिनांक 24 मार्च, 2018 को विचाराधीन निम्नलिखित विषय पर चर्चा जारीः–

''सतत विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)''

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय उपाध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

मा0 सदस्य श्री मनोज रावत, सदस्य, विधान सभा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि विगत कई सत्रों से सोमवार के लिए कई विभागों के उत्तर निर्धारित होने पर मा0 सदस्यों के प्रश्न द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सोमवार तक भी निर्धारित हो जाते हैं जिन दिवसों पर सत्र के उपवेशन न आने से वे प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं और बहुत बार सोमवार को सत्र के उपवेशन रखे नहीं जाते हैं। अतः कुछ विभागों के प्रश्न के लिए वार आवंटन अन्य दिन होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने भी इस बात से स्वयं को सम्बद्ध करते हुए कहा कि भविष्य में होने वाले सत्र में वार आवंटन इस प्रकार किया जाये कि अधिकाधिक प्रश्न कार्यसूची का भाग बन सकें और उत्तरित हो सकें।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा प्रचलित नियमों के अन्तर्गत ही वार आवंटन किया जाता है। इस बार माननीय श्री प्रकाश पंत जी के निधन के कारण सोमवार को प्रश्नकाल निलम्बित करना पड़ा। सरकार की मंशा अधिक से अधिक संख्या में मा0 सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देने की है, और भविष्य में भी जनहित के विषयों पर आने वाले अधिकाधिक प्रश्नों का उत्तर सरकार देने का हर सम्भव प्रयास करेगी और तद्नुसार ही वार आवंटन आदि कार्य विन्यास वर्तमान में प्रचलित नियमों के अन्तर्गत ईष्टतम प्रभावी रुप से करने का प्रयास होगा, ताकि अधिकाधिक प्रश्नों का उत्तर आ सके।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल एवं श्री करन माहरा, श्री मनोज रावत एवं श्री राजकुमार, श्रीमती ममता राकेश एवं श्री आदेश सिंह चौहान तथा श्री प्रीतम सिंह पंवार की कुल 05 सूचना प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से श्री प्रीतम सिंह, श्री मनोज रावत एवं श्री राजकुमार, श्रीमती ममता राकेश एवं श्री आदेश सिंह चौहान तथा श्री प्रीतम सिंह पंवार की सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहे हैं।

मा0 सदस्य श्री करन माहरा एवं श्री कुन्जवाल ने भी अपनी सूचना लिए जाने का अनुरोध किया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सूचना में विचारणीय विषय पर मा0 अध्यक्ष जी द्वारा जो निर्देश दिये गये थे उसके क्रम में विधान सभा की एक समिति बनायी जानी है। अतः इस सूचना को लिए जाने का औचित्य नहीं है। नेता प्रतिपक्ष एवं विपक्ष के सभी सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर नियम–58 इस सूचना को सुनने हेतु श्री उपाध्यक्ष जी से अनुरोध करने लगे। श्री उपाध्यक्ष ने तत्पश्चात इस सूचना को लिए जाने की अनुमति प्रदान की।

सरकार द्वारा राज्य आन्दोलनकारियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं के निराकरण पर कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह तथा नेता प्रतिपक्ष ने विचार व्यक्त किये।

01:05 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

सरकार द्वारा उत्तराखण्ड के सम्पूर्ण जनपदों में विकास प्राधिकरणों के गठन की प्रकिया का प्रदेश की जनता द्वारा पुरजोर विरोध किये जाने के संबंध में नियम– 58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री करन माहरा तथा नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ट्रैकिंग, कैम्पिग तथा गंगा किनारे राफ्टिंग हेतु कैम्पिग पर रोक लगाये जाने के संबंध में मा0 सदस्य श्री राजकुमार ने अपने विचार व्यक्त किये।

सदन की कार्यवाही 01 बजकर 39 मिनट पर भोजनावकाश के लिये 03:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

मा0 सदस्य श्री मनोज रावत ने भी उपरोक्त सूचना पर अपने विचार व्यक्त किये। वन मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

राज्य के सहकारी बैकों में नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा प्रदेश से बाहर परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के संबंध में मा0 सदस्य श्रीमती ममता राकेश, श्री आदेश सिंह चौहान तथा नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने विचार व्यक्त किये। सहकारिता मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

राज्य के 108 एवं खुशियों की सवारी सेवा में कार्यरत पूर्व फील्ड कर्मचारियों की सेवा बहाली न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री प्रीतम सिंह पंवार तथा नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर विपक्ष द्वारा दी गयी नियम–310 से नियम–58 में परिवर्तित सूचना पर नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार वयक्त किये। निम्नलिखित सदस्यों ने भी विचार व्यक्त कियेः–

(1) श्री प्रीतम सिंह

(2) श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल

(3) श्री करन माहरा

(4) श्रीमती ममता राकेश

04 बजकर 35 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

(5) हाजी फुरकान अहमद

(6) श्री मनोज रावत

(7) श्री आदेश सिंह चौहान

(8) श्री राजकुमार

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर से संतुष्ट न होने पर नेता प्रतिपक्ष व विपक्ष के सभी सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया।

संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

आयुष मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर संशोधन सहित विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

आयुष मंत्री ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :–

धारा–46 का संशोधनः मूल अधिनियम की धारा 46 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्याकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (2) अंतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थातः–

''46(2) राज्य सरकार प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति गठित करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगेः–

(क) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश– अध्यक्ष

(ख) सचिव, चिकित्सा शिक्षा (पदेन) – सदस्य

(ग) सचिव, न्याय (पदेन) – सदस्य

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामित एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जो राज्य सरकार के सचिव से अनिम्न स्तर के पद से सेवानिवृत्त हुआ हो – सदस्य

(ङ) राज्यपाल द्वारा नामित राज्य आयुष विस्वविद्यालय के एक भूतपूर्व कुलपति – सदस्य

(च) राज्य सरकार द्वारा नामित दो आयुष शिक्षाविद् – सदस्य

(छ) सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा – सचिव

समिति के अध्यक्ष द्वारा नियमों में परिभाषित एक प्रसिद्व चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को भी नामित किया जायेगा।

अन्य अधिनियम/अध्यादेश में किसी बात के होते हुए भी यह धारा प्रभावी होगी।'' **संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

आयुष मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, को संशोधित सहित पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी।**

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश की राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैक लॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियॉ की जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी।**

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है जिसे पुनर्गठन कर मदन नेगी

अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि काजी मौ0 निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी।**

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश से कराई जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी।**

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुऑ, जिला नैनीताल, एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे है, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी।**

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी।**

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गाय को भारतीय कृषि, आर्थिकी तथा आध्यात्म का आधार होने के कारण राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी जाय एवं इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण एवं विकास हेतु ''राष्ट्रीय गाय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी।**

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में से प्रतिवर्ष रू0 01 करोड़ मन्दिरों तथा पंचायत स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी।**

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर नीति बनायी जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी।**

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी एवं चकराता के मूल निवासी अछूत कोल्टा जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी।**

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में जहॉ लोग विभिन्न कारणों से कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं, के सम्पूर्ण भाग पर सरकारी अथवा सहकारिता के माध्यम से कृषि, बागवानी, सगन्ध पुष्प अथवा अन्य कोई रोजगारपरक खेती करायी जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी।**

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मत्स्य विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 2016 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 पदों पर बिना आरक्षण के माध्यम से आउट सोर्सिंग/उपनल से तथा 14 पदों पर संविदा के द्वारा बिना विज्ञप्ति एवं आरक्षण लागू न करते हुए भर्ती की गई। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जांच की जाय।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी।**

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि की जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी।**

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में ई–नेटवर्किंग में मोबाईल कार्य हेतु कार्यरत सभी कम्पनियां अपने–अपने उपभोक्ताओं की किसी भी तरह की जानकारियां किसी अन्य कम्पनियों को उपलब्ध न कराये।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी।**

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में राज्य गठन से पूर्व राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के लिए पात्रता निर्धारण किये जाने की शर्तों में शासनादेश संख्या–1118/XVII–1/2013–01(20)2013 में दिये गये शासनादेश संख्या 2588/एक–4/सा0प्रा0/2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 में दी गई व्यवस्था पर पुनर्विचार करते हुए यह माना जाय कि शासनादेश के बिन्दु संख्या–02 में उल्लेख है कि इस श्रेणी में वही व्यक्ति आयेंगे जिनका स्थाई आवास उत्तरांचल में हो, तथा उत्तरांचल के सद्भाविक (Bonafide Residents) निवासी हों, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय।''

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा ने नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र विशेष में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित आधारभूत सुविधाओं, सेवाओं आदि का विकास करते हुए, सार्थक प्रयास किये जायें।''

उपर्युक्त प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष द्वारा मद संख्या–41 (2) पर माननीय सदस्य श्रीमती ममता राकेश का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगी:–**

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा से अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाये।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगी:–**

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी–छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगी:–**

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि बी0डी0 इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगी:–**

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि राज्य में वाहन दुर्घटनाओं तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत मारे गये व्यक्तियों को एक समान प्रतिकर/अहेतुक सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान किया जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगी:–**

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में काफी जन हानि एवं आपदा जैसे हालात पैदा हो गये हैं, जिस हेतु प्रदेश सरकार राज्य को दैवीय आपदा घोषित करते हुए केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजे कि वे केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने हेतु राज्य को विशेष अनुदान राशि मुहैया करायी जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगीः–**

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर ''डा0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा कर दिया जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगीः–**

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों में 1992 से अब तक एस0सी0/एस0टी0/ओ0 बी0सी0 के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगीः–**

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि ट्रामा सेन्टर कण्डीसौड़ (छाम) विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढ़वाल को शीघ्र संचालित कराया जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगीः–**

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि सन् 1822 की क्रान्ति को पहली स्वतंत्रता क्रान्ति मानते हुए यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से भारत सरकार को भेजा जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगीः–**

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कराया जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगीः–**

''प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगीः–**

''प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगीः–**

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के कार्मिक विभाग के अन्तर्गत ''इरशाद हुसैन'' आयोग का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर अभी तक नहीं रखी गई है। सदन के पटल पर यह रिपोर्ट अविलम्ब रखी जाय।''

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगीः–**

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश की प्राइवेट शुगर मिलों से किसानों की कई सौ करोडों रूपये गन्ने की बकाया रकम दिलाने हेतु इस सदन में चर्चा कराई जाय।''

श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को सदन में की गयी घोषणा के अनुक्रम में दिनांक 24 मार्च, 2018 को विचाराधीन निम्नलिखित विषय पर **चर्चा जारी रहेगीः–**

''सत्त विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)''

दिनांक 21 फरवरी, 2019 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–01 के संबंध में श्री मनोज रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें एवं ड्रेस वितरित योजना होने विषयक सूचना पर, नियम–51 के अन्तर्गत **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से मा0 सदस्य श्री फुरकान अहमद,सदस्य, विधान सभा की सूचना जो कि जनपद हरिद्वार के तहसील रूड़की के ग्राम अब्बुल हसनपुर परगना में चकबन्दी न होने से क्षेत्र वासियों को रास्ते की परेशानी के सम्बन्ध में है को नियम– 53 के अंतर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा0 सदस्य श्री महेश सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा की सूचना जो कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट में द्वाराहाट पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण न होने के संबंध में है को नियम–53 के अंतर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहे हैं।

सदन की कार्यवाही 05 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
प्रेमचन्द अग्रवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।